

# उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण

(Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority)

5<sup>th</sup> फ्लोर, राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्प्लैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड  
ईमेल- [ukrera2017@gmail.com](mailto:ukrera2017@gmail.com) दूरभाष- 0135-2719500

पत्रांक:- 2316

दिनांक:- 14.05.2020

## नोटिस

उत्तराखण्ड राज्य के सभी प्रमोटरों/बिल्डरों, आवंटियों/क्रेताओं एवं सर्वसाधारण से भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 तथा उत्तराखण्ड भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) (सामान्य) नियमावली, 2017 के अधीन उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गये उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम, 2020 (Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority (General) Regulations, 2020) पर पत्रांक 2255 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा दिनांक 06.04.2020 तक, पत्रांक 2255 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा दिनांक 30.04.2020 तक एवं पत्रांक 2298 दिनांक 13.04.2020 के द्वारा दिनांक 15.05.2020 तक सुझाव मांगे गये थे। इन विनियम/ Regulations के प्रारूप पर अब दिनांक 30.05.2020 तक सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। आप अपने सुझाव लिखित रूप से कार्यालय में अथवा प्राधिकरण के ईमेल आईडी [ukrera2017@gmail.com](mailto:ukrera2017@gmail.com) पर प्रेषित कर सकते हैं।

(विष्णु कुमार)  
अध्यक्ष